Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में राजस्व पटवारी एवं उसका दलाल 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 फरवरी, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज जहाजपुर, भीलवाड़ा में कार्यवाही करते हुये भैरूसिंह गुर्जर पटवारी, हल्का गांगीथला तहसील जहाजपुर अतिरिक्त चार्ज हल्का उंचा वृत गांगीथला, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को उसके दलाल महेन्द्र कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के साथ परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एस.डी.एम. जहाजपुर द्वारा पकड़ी गई उसकी रेत से भरी ट्रैक्टर–ट्रालियों को छोडने की एवज करने की एवज में भैरूसिंह गुर्जर पटवारी, हल्का गांगीथला अतिरिक्त चार्ज हल्का उंचा वृत गांगीथला, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा उसके दलाल महेन्द्र कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बूंदी इकाई के **पुलिस उप अधीक्षक श्री ज्ञानचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री ताराचंद** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल महेन्द्र कुमार पुत्र श्री फूलचंद मीणा निवासी रतनपुरा, थाना जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी भैरूसिंह गुर्जर पुत्र श्री लीलाराम गुर्जर निवासी ग्राम नांगल चेचिका, तहसील कोटपूतली, थाना पनियाला, जिला जयपुर हाल पटवारी, हल्का गांगीथला अतिरिक्त चार्ज हल्का उंचा वृत गांगीथला, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।